दैनिक भास्कर

बिलासपुर भास्कर 11-09-2025

हाइवे पर स्टंट, सरकार ने बताया- जांच पूरी, कोर्ट में सौंप दी है रिपोर्ट

हाई कोर्ट ने दैनिक भास्कर की खबरों पर लिया था संज्ञान

लीगल रिपोर्टर | बिलासपुर

रतनपुर हाइवे और बिलासपुर की सड़कों पर कार से स्टंट, सनरूफ से सेल्फी और ट्रैफिक जाम कर जन्मदिन मनाने वाली घटनाओं की जांच पूरी कर ली गई है। पुलिस ने तीनों मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद जमानत पर छोड़ा है। वाहनों को जब्त करने के बाद कोर्ट के आदेश पर वापस किया गया है। यह जानकारी राज्य सरकार ने बुधवार को हाई कोर्ट में दी। हाई कोर्ट ने दैनिक भास्कर की कई खबरों पर संज्ञान लेते हुए जवाब मांगा था। अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी।

21 जुलाई को युवकों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर बीच सड़क में कारों से स्टंट किया। पुलिस ने अपराध दर्ज कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। निजी मुचलके पर उन्हें जमानत दी गई और जब्त वाहन कोर्ट के आदेश पर लौटा दिए गए। कोर्ट में अंतिम रिपोर्ट 21 जुलाई को पेश की गई। इसी तरह 24 जुलाई को को सनरूफ में स्टंट और सेल्फी लेने पर खबर प्रकाशित हुई थी। सिविल लाइन पुलिस ने इस मामले में लव उर्फ लक्की कुंभकर, अरमान उर्फ ऋषभ कुंभकर, रमाशंकर कौशिक और प्रियांशु कश्यप को गिरफ्तार किया। वाहन जब्त किया गया था, जिसे कोर्ट के आदेश पर लौटाया गया। अंतिम रिपोर्ट 25 जुलाई को पेश की गई।

सड़क पर मनाया एक्टर का बर्थडे

2 अगस्त को सिविल लाइन थाना पुलिस ने गुरुदेव अवस्थी उर्फ चुट्टू अवस्थी को ट्रैफिक जाम कर जन्मदिन मनाने के मामले में गिरफ्तार किया था। 6 सितंबर को अंतिम रिपोर्ट अदालत में जमा की गई।